

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर  
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

Phone No. 07781-252913

E-Mail ID cmho.narayanpur@gmail.com

क्रमांक / स्था. / मु.चि.अ. / 2021 / 4812

नारायणपुर, दिनांक 12/07/2021


// सूचना //

विषय :- प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं दावा-आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु "सूचना" अपलोड करने के संबंध में ।

-000-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा रायपुर के विज्ञापन क्रमांक/स्थापना नर्सिंग/170/2021/229/ नवा रायपुर दिनांक 09.03.2021 के तहत जिला नारायणपुर अंतर्गत प्रशिक्षित मितानिनों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के कुल 03 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के तहत दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए सीमित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 09 अभ्यर्थियों में से उपस्थित कुल 07 अभ्यर्थियों का दिनांक 10.07.2021 दिन शनिवार को कार्यालयीन समय पर विभागीय चयन समिति द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, इस दौरान कुल 02 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए । विभागीय चयन समिति द्वारा जारी पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं दावा-आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु "सूचना" कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर के कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया गया है एवं जिला नारायणपुर के वेबसाईट [www.narayanpur.gov.in](http://www.narayanpur.gov.in), विभागीय वेबसाईट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर अपलोड भी किया गया है तथा दावा-आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु "सूचना" जिला नारायणपुर के समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है ।

विभागीय चयन समिति द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरांत जारी पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची पर यदि किसी भी अभ्यर्थियों को कोई भी आपत्ति हो तो वह कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर के ई-मेल [rhofmdavanpur@gmail.com](mailto:rhofmdavanpur@gmail.com) पर दिनांक 13.07.2021 से दिनांक 17.07.2021 तक कार्यालयीन समय सायं 5:00 बजे तक सप्रमाण दस्तावेज संलग्न करते हुए दावा-आपत्ति अभ्यावेदन केवल ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं । किसी भी स्थिति में ऑफ लाईन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से दावा आपत्ति अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा ।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला नारायणपुर